

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 870/12

दिनांक 26-06-12

भाग-द

मेरठ विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र:

ग्राम रामपुर पावटी तहसील व जिला मेरठ में स्थित भूखण्ड/खसरा संख्या 307, 167, 168, 187, 178, 143, 145, 147, 150, 158, 160 एवं 161 (क्षेत्रफल 75305.26 वर्गमीटर नैट) पर निर्मित भवन/Block- A, Block- B, Block- C, Block- D, Block-D1, Block-E, Block-F, Block-G, Block- H, Block-I, Block-J, Block-K, Block-L, Block-M, Block- N, Block- O एवं Block- P के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री सचिन अग्रवाल, अवर अभियन्ता, श्री आर०पी० राठौर, अवर अभियन्ता तथा श्री आर०ए० गुप्ता, सहायक अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा दिनांक 19.06.12 को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम मुख्य नगर नियोजक

कार्यालय की मुहर.....
(सचिन अग्रवाल सिंह)
मुख्य नगर नियोजक

दिनांक 26.06.12

संलग्नक:

- आवेदन पत्र के भाग अ, ब एवं स की छायाप्रति।

प्रपत्र-“स”
 आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुमंजिला भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों के पूर्णता प्रमाण-पत्र
 हेतु आवेदन पत्र
 (उपविधि संख्या-3.1.8)
 मेरठ विकास प्राधिकरण

भाग-अ

- | | |
|---|---|
| 1. (I) आवेदक का नाम | सिटी एंजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी |
| (II) वर्तमान पता | एम-58 लॉगपत क्रॉसिंग बाई पास रोड मेरठ |
| 2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड | रजिस्ट्रार संख्या 307, 167, 168, 187, 178, 143, 145, 147, 150, 158, 160 संख्या शम्पुर पालटी, मेरठ |
| 3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | 75305.26 वर्गमीटर (नैट) |
| 4. अनुमन्य उपयोग | शैक्षिक (इंजीनियरिंग, फार्मसी, मैनेजमेंट कॉलेज) |
| 5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि | 23-10-09 |
| (II) परमिट संख्या | 484/09 |
| (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण:
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो:
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। |
.....
.....
.....
..... |
| 6. (I) यदि अनाधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें | |
| (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि व रसीद संख्या | |
| (III) एवं उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें | |

7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

7.1	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	27.70	35%	27.70%	स्वीकृत
7.2	एफ.ए.आर.	1.04	2.00	1.04	स्वीकृत
7.3	सैट बैंक (दूरी मीटर में)				
	(अ) सामने	9.00	15.00	9.00	पूर्व स्वीकृत
	(ब) पीछे	9.00	9.00	9.00	स्वीकृत
	(स) दाएं	9.00	9.00	9.00	स्वीकृत
	(द) बाएं	9.00	9.50	9.00	स्वीकृत
	(य) बेसमेन्ट (क्षेत्रफल व०मी०)				
7.4	सुविधाएं				
	(क) जल आपूर्ति				हैं/नहीं
	(ख) मलोत्सारण				हैं/नहीं
	(ग) जल निकास				हैं/नहीं
	(घ) विद्युत आपूर्ति				हैं/नहीं
8.	भवन में आन्तरिक परिवर्तन				
	(क) उपविधियों के अन्तर्गत,				हैं/नहीं
	(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है।				हैं/नहीं
9.	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनाधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।				

संलग्नक अभिलेख:

1. पूर्व स्वीकृत समस्त मानचित्रों की छाया छति
2. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- 3.

दिनांक 11-5-2012

City Educational & Social Welfare Society

V. S. Arora

Addl. Comm. Officer

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक.....

के हस्ताक्षर (प्रमाण-पत्र सहित)

प्रपत्र-“स”

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त अन्य भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सि.डी. सुनेशमल रण्ड सोरल वेल्फेयर सोसाइटी (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 307, 167, 168, 187, 178, 143, 145, 147, 150, 150, 160, 99, 161 पर स्थित भवन संख्या 989/9 का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् है:-

✓ निर्मित भवन लागू उपविधियों एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र, अथवा स्वीकृत/शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर.....

नाम/पता.....

काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्स

की पंजीकरण संख्या/

लाइसेन्स संख्या CA/94/17794

लाइसेन्स वैधता की अवधि.....

दिनांक 11-05-2012

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र

(आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त अन्य भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता.....

लाइसेन्स संख्या CA/94/17794

दिनांक 11-05-2012